पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्) [संख्या–09

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	119–146	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	63–71	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	57–61	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

कार्यालय–नगर निगम ऋषिकेश

06 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक मैमो/भवनकर/2024–2025–

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

IV. यह उपविधि नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून(तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2024 कही जायेगी

V. इसका विस्तार नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

VI. यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2– तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता–

VII. वह भारत का नागरिक हो।

VIII. आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य हैं।

IX. दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है। नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में पुलिस से सत्यापन आवश्यक होगा।

X. आवेदनकर्ता तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज/युनिवर्सिटी, कोचिंग सेन्टर, आदि), मन्दिर (वीरभद्र महोदव मन्दिर, चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर, सोमेश्वर महादेव मन्दिर, हनुमान मन्दिर, घाट इत्यादि) के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

XI. आवेदनकर्ता की दुकान स्थाई हो।

XII. उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकान हो सकती है।

3– वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क–

IV. तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रू0 1500.00 (रू0 एक हजार पांच सौ) स्थाई दुकानों हेतु रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार) थोक स्थाई दुकानदारों के लिए रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार) होगा।

V. एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रू0 10000.00, फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रू0 2000.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रू0 1000.00 होगा।

VI. उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4– तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन–

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा–

VIII. तम्बाकू विक्रेता को कोटपा (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा. वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, *2003*)की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबन्ध) का अनुपालन करना होगा। धुम्रपान को सम्भव या सुगम बनाने वाली कोई भी चीज जैसे माचिस की तिल्ली और लाइटर या अन्य चीजें मुहैया नहीं करायी जाएगी।

IX. तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन। धारा 5 के अनुसार दुकानदार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप (जैसे कि बोर्ड, पोस्टर, बैनर इत्यादि) से प्रचार प्रसार नहीं करेगा।

X. तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी। तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

XI. तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 6 ब के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नही की जाएगी।

XII. तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 7 का अनुपालन करना होगा एवं लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

XIII. दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंन्धित होगी।

XIV. तम्बाकू विक्रेता को इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिकी, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) पर प्रतिबंध विधेयक, 2019 का अनुपालन करना होगा।

5– नियम एवं शर्तें–

VIII. तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनवार्य होगा। बिना लाइसेंस से तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

IX. पंजीकरण दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

X. एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

XI. एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

XII. किन्ही भी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा–निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

XIII. तम्बाकू उत्पादक की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम ऋषिकेश द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा 1000 रू0 का जुर्माना किया जाएगा। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नही किया जाएगा।

XIV. तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते है। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रू0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रू0 5,000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रू0 10,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

6–पंजीकरण प्रक्रिया–

vii. नगर निगम ऋषिकेश में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

viii. ट्रेड लाइसेंस हेतु पंजीकरण नगर निगम, ऋषिकेश में आवेदन–पत्र/फार्म भरकर जारी किया जायेगा।
ix. प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरांन्त सही पाये जाने पर ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा।
x. अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेगे।
xi. जारी ट्रेड लाइसेंस को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।
xii. पंजीकरण के सन्दर्भ में नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7–वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि–

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून के प्रशासक महोदय, नगर निगम ऋषिकेश के अनुमोदन के पश्चात् गजट नोटिफिकेशन/अधिसूचना जारी होने के तत्काल पश्चात् प्रभावी मानी जाएगी।

शैलेन्द्र सिंह नेगी,
नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/75–भाग 8–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।